यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक, होम्योपैथी चिकित्सा सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तरखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **निदेशक, होम्योपैथी चिकित्सा सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून** के माह 04/2013 से 01/2017 तक के लेखा अभिलोखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अश्विनी कुमार पाण्डेय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री दीपेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20.02.2017 से 23.02.2017 तक श्री शशिकांत पाण्डेय, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, एवं श्री राज बहादुर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं द्वारा दिनांक 15/04/2013 से 23/04/2013 तक श्री डी0के0 पिपलानी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2011 से 03/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2013 से 01/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- समस्त उत्तराखण्ड में होम्योपैथी चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करना।

3. (i) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (-)	बचत (+)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	-	-	36.18	20.33	23.05	14.60	-	
2014-15	-	-	63.00	57.80	29.35	25.57	-	
2015-16	-	-	75.40	42.21	28.40	11.14	-	
2016-17 (upto Jan)	-	-	85.11	67.55	17.56	15.00	-	

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः-

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**अधिक्य**	**बचत**
2014-15	एन.आर.एच.एम	-	29.50	29.47	29.47	.03
2015-16	एन.आर.एच.एम	.03	33.20	-	-	33.23
2016-17	एन.आर.एच.एम	33.23	-	-	-	33.23

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना, जिला योजना एवं केंद्रीय योजना (एन.आर.एच.एम) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'स' श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव
2. अपर सचिव
3. संयुक्त सचिव
4. निदेशक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय **निदेशक, होम्योपैथी चिकित्सा सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **निदेशक, होम्योपैथी चिकित्सा सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च/2016 एवं अप्रैल/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो (ब)</u>

प्रस्तर:1 ब्याज की धनराशि ` 6.48 लाख का अवरोधन।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की operational financial management guidelines के अनुसार: The Resources allocated to a particular state for any given financial year is termed as the “Resource Envelope”. The resource envelope for a Financial Year consists of:

- Uncommitted Unspent Balance
- GoI Allocation (BE) proposed for the year
- State Share Contribution due for the year

प्रत्येक राज्य अपना वार्षिक कार्य योजना बनाते हुए निम्न बातों का ध्यान रखेंगे:

- Funds released under NRHM do not lapse at the close of the Financial Year but are carried over to the next Financial Year in the form of committed and uncommitted unspent balances.
- ***Clear demarcation of Committed Unspent and Uncommitted unspent balances:*** The states need to show the quantum of usage of funds in the previous year and the quantum of unspent funds lying with them.

इन दिशानिर्देशों के अनुसार यदि किसी निधि का उपयोग नहीं होता तो भारत सरकार को वार्षिक कार्ययोजना प्रेषित करते समय अनुपयोगित निधि वार्षिक कार्ययोजना में दिखाई जानी चाहिए।

निदेशक, होम्योपैथी चिकित्सा सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहारादून द्वारा संचालित बैंक खातों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आवंटित धनराशि के रखरखाव के लिए इलाहाबाद बैंक मे खाते खोले गए है। उपरोक्त मदों/योजनाओ के अंतर्गत आवंटित धनराशि पर माह 01/2017 के अंत तक कुल ` 6.48 लाख की धनराशि ब्याज के रूप मे अर्जित हुई थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

मद/योजना	खाता संख्या	बैंक	अर्जित ब्याज (1/2017 तक)	जमा की गयी धनराशि (01/2017 तक)	अवशेष ब्याज की धनराशि
एन आर एच एम	206781095	इलाहाबाद बैंक	6.48	---	6.48

उपरोक्त से स्पष्ट है, कि ब्याज के रूप मे अर्जित ` 6.48 लाख की धनराशि में से 01/2017 तक कोई धनराशि इकाई द्वारा जमा नहीं की गयी थी तथा ` 6.48 लाख की ब्याज से अर्जित धनराशि खातों में अवरुद्ध पड़ी हुयी थी, जो कि भारत सरकार को भेजी जा रही कार्ययोजना में प्रदर्शित भी नहीं की गयी है। उपरोक्त के संबंध मे इकाई से पूछे जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि धनराशि शासन को समर्पित नहीं की गयी है तथा यह भी अवगत कराया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार को वापस की जायेगी जिससे लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वतः पुष्टि हो जाती है।

अतः ` 6.48 लाख की अर्जित धनराशि का खातों में अवरुद्ध पड़े रहने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर:2 ` 3.27 लाख के सामग्रियों की लंबित नीलामी।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 05 के नियम 260 मे प्रावधानित है कि "Whenever it appears that the articles borne on stock or tools and plant including motor vehicles are either in excess of the requirement of the department or have become unserviceable and unfit for further use, the matter should immediately be reported to the competent authority who should arrange for inspection of the articles and decide if they should be auctioned"

कार्यालय निदेशक, होम्योपैथी चिकित्सा सेवाएँ, देहरादून के लेखाभिलेखों की जांच के दौरान मृत भंडार पंजिका के अवलोकन मे यह पाया गया की वर्ष 2014-15 मे भंडार पंजिका के सत्यापन के समय दिनांक 29-08-2014 को कुल 20 वस्तुओं, जिनकी वास्तविक कीमत लगभग ` 3.27 लाख थी, को अकार्यशील घोषित कर दिया गया था। परन्तु 2 वर्षों से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी सामग्रियों के नीलामी की कार्यवाही नहीं की गयी थी जबकि समग्रियों को अकार्यशील घोषित किए जाने के उपरांत यथाशीघ्र नीलामी की कार्यवाही संपादित की जानी चाहिए जिससे समग्रियों के संभावित मूल्यह्रास से बचा जा सके।

इस संबंध मे इकाई से पूछे जाने पर इकाई ने अवगत कराया समिति गठित कर दी गयी है तथा नीलामी तिथि निर्धारित कर तीन माह के अंदर राजस्व जमा करा दिया जाएगा। इससे लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वतः ही पुष्टि हो जाती है।

अतः ` 3.27 लाख के सामग्रियों को निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलामी नहीं किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर:3 निदेशालय होम्योपैथिक सेवाएँ उत्तराखण्ड द्वारा सम्बन्धित चिकित्सालयों हेतु बिना मांग के ` 29.47 की औषधि खरीद।

निदेशालय, होम्योपैथिक सेवायें उत्तराखण्ड द्वारा आयुष सेवायें के अन्तर्गत राज्य के अन्तर्गत अवस्थित कुल 123 चिकित्सालयों हेतु औषधि क्रय की गई। इसके अन्तर्गत Bharat Homeo Medical Stores, DDN (Bill No. 005880, DT. 29.03.2016 ` 1686391.50, Bill NO. 5883 DT 29.03.2016 ` 2,64,918.40) जो कि निविदा में चयनित फर्म का डिस्ट्रीब्यूटर है से कुल ` 1951309.9 की औषधि खरीदी गई। पुनः अन्य कुछ दवाओं हेतु चयनित फर्म Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Ltd से कुल 996025 (Bill HG.016 DT 29.03.2016 & Bill no HG-017 DT 29.03.2016) की औषधि खरीद की गई आगे की जांच में पाया गया कि उक्त कुल ` 29.47 लाख की औषधि क्रय-हेतु सम्बन्धित 123 चिकित्सालयों से कोई भी मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। यह भी उल्लेखनीय है कि Beckons Drugs & Pharmaceuticals Bharat Homeo Medical Stores, DDN (Authorised Dealer) से की गयी खरीद सम्बन्धी बिलों से स्पष्ट है कि उक्त खरीद पर कोई VAT का भुगतान फर्म द्वारा नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर निदेशालय ने उत्तर दिया कि खरीद भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार की गई है और VAT की राशि निविदा में शामिल थी।

उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि बिना मांग के औषधि खरीद से वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन होता है और भुगतान किये जाने वाले VAT की राशि को बिलों में अलग से दिखाया जाता है।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो (ब)</u>

प्रस्तर:4 ` 50436.00 का अनियमित व्यय।

दिनेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें देहरादून की लेखापरीक्षा के दौरान खरीद सम्बन्धी अभिलेखों की जांच में पाया गया कि बीजक संख्या 05799 दिनांक 31.03.2015 के द्वारा ` 28020.00 एवं बीजक 005810 दिनांक 31.03.2015 के द्वारा ` 22416.00 की पुस्तकें खरीदी गई थी। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा भुगतान संबंधी आदेश टीपे एवं आज्ञायें पत्रावली के पृष्ठ संख्या (6) दिनांक 16.03.2015 को प्रदान कर दिये गये थे जो कि बिल के कटने से पूर्व की तिथि थी।

पुनः उक्त पुस्तकों हेतु संबंधित चिकित्सालयों से कोई मांग पत्र की निदेशालय को प्राप्त नहीं हुआ।

उपरोक्त बिन्दुओं को लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर निदेशालय ने उत्तर दिया कि इंगित बिलों का भुगतान 30 5/15 को किया गया है और त्रुटि वश दिनांक गलत पड गया। यह भी उल्लेख किया कि पुस्तकों की खरीद भारत सरकार की गाइडलांइस के अनुसार को गयी है

विभागीय उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि विक्रेता द्वारा बिल के काटने से पूर्व ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा भुगतान आदेश पारित किया जाना वित्तीय अनुशासन के विरुद्ध है और अनियमित है। पुनः इस संबंध में संबंधित चिकित्सालयों से प्राप्ति खरीद एवं स्टॉक बुक की छायाप्रतियों की सम्प्रेक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गयी। आगे, बिना मांग पत्र के उक्त पुस्तकों की खरीद भी अनियमित है।

` 50436.00 की पुस्तकों के अनियमित खरीद का प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर
64/2011-12	शून्य	01	01
20/2013-14	शून्य	01	शून्य

- इकाई ने अवगत कराया है कि अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सीधे कार्यालय को प्रेषित कर दी जायेगी।

भाग-चार

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

भाग-पाँच

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु **निदेशक, होम्योपैथी चिकित्सा सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गएः

(i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डॉ बी0सी0 कनवासी	निदेशक	विगत लेखापरीक्षा से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **निदेशक, होम्योपैथी चिकित्सा सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप-महालेखाकार/उप-महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.